**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13815/2024

Suresh Meena S/o Shri Chhaju Ram Meena, Aged About 29 Years, R/o Dosi Wali Dhani, Mundali, Police Station Shivdaspura, District Jaipur (Raj.). ( The Accused- Petitioner Presently Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Rajneesh Gupta<br>Mr. Lokendra Sharma |
| For Respondent(s) | : | Mr. Jaiprakash Tiwari, Dy. GA |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR**

**Judgment / Order**

**04/12/2024**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– बिन्दायका, जिला– जयपुर (जयपुर पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 191/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश मीणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 120(बी) के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में परिवादी विनोद कुमार व प्रकरण में मुख्य अभियुक्त मुकेश मीणा के मध्य एग्रीमेंटे निष्पादित किया गया था और मुकेश मीणा को ही परिवादी द्वारा संपूर्ण राशि उक्त एग्रीमेंट के पेटे अदा की थी। प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में परिवादी विनोद कुमार द्वारा 7,77,200/– रूपए जमा कराए थे जो प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश मीणा ने मुकेश मीणा के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.10.2024 से न्यायिक

अभिरक्षा में चल रहा है और प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस द्वारा अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान लोकअभियोजक द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी करना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.10.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है अतः मैं प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ देने योग्य समझता हूं। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सुरेश मीणा पुत्र छाजू राम मीणा** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR), J

RAMESHWAR PRASHAD /202